न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -04/2022-23

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

दुखःहरण महतो बनाम चम्पा देवी

17.03.23

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता –

दुखःहरण महतो पिता—स्व० काशीनाथ महतो, ग्राम—नवाडीह, पो०—बी० नवाडीह, थाना—सोनाहातु, अंचल—राहे, जिला—राँची, झारखण्ड, जाति—कुर्मी, पेशा—खेती।

क्रेता का नाम एवं पता -

चम्पा देवी पति—नरोत्तम महतो, ग्राम—नवाडीह, पो०—बी० नवाडीह, थाना—सोनाहातु, अंचल—राहे, जिला—राँची, झारखण्ड, जाति—कुर्मी, पेशा—गृहिणी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम –

श्री परमेश्वर महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक—28/06/2022 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा—46(i)b के तहत क्रेता चम्पा देवी पति—नरोत्तम महतो, ग्राम—नवाडीह, पो०—बी० नवाडीह, थाना—सोनाहातु, अंचल—राहे, जिला—राँची, झारखण्ड, जाति—कुर्मी, पेशा—गृहिणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमित माँगी हैं:—

मुमि की विवरणी

मौजा	थाना / थाना सं०	खाता	प्लॉट	रकवा
		सं०	सं०	
नवाडीह	सोनाहातु / 72	54	15	07 डी॰ चौहद्दीः— उ॰—उध्धप महतो। द॰—घासीया महतो। पू॰—मधुसूदन महतो। प॰—सुखदेव महतो।

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक—49(ii) दिनांक—10/02/2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

- (1) प्रस्तावित जमीन के खितयानी रैयत लखन महतो वो गुजनू महतो वो मो० शालु वो लखीचरण महतो वगैरह के नाम से दर्ज है।
- (2) खतियानी रैयत / पंजी-II रैयत के साथ विक्रेता का संबंध पिता-पुत्र का है।
- (3) पंजी—II के अनुसार रैयत का नाम बीसनाथ महतो पिता—लखन महतो वो काशीनाथ महतो पिता—लखीचरण महतो वगैरह है। तथा रैयत के पास रकबा—21 एकड़ 54.72 डी॰ भूमि है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2021-22 तक वसूली गयी है।
- (5) जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध पिता—पुत्र का है। तथा खितयानी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।

- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन काएमी किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा—21 एकड़ 47.72 डी॰ भूमि शेष रह जाएगा।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को आवश्यक घरेलु कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुर्मी जाति के है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही गांव एवं थाना के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा—46(i)b के तहत विक्रेता दुख:हरण महतो पिता—स्व० काशीनाथ महतो, ग्राम—नवाडीह, पो०—बी० नवाडीह, थाना—सोनाहातु, अंचल—राहे, जिला—राँची, झारखण्ड, जाति—कुर्मी, पेशा—खेती, को क्रेता चम्पा देवी पति—नरोत्तम महतो, ग्राम—नवाडीह, पो०—बी० नवाडीह, थाना—सोनाहातु, अंचल—राहे, जिला—राँची, झारखण्ड, जाति—कुर्मी, पेशा—गृहिणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक—28/06/2022 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता दुखःहरण महतो पिता—स्व० काशीनाथ महतो, ग्राम—नवाडीह, पो०—बी० नवाडीह, थाना—सोनाहातु, अंचल—राहे, जिला—राँची, झारखण्ड, जाति—कुर्मी, पेशा—खेती, को क्रेता चम्पा देवी पित—नरोत्तम महतो, ग्राम—नवाडीह, पो०—बी० नवाडीह, थाना—सोनाहातु, अंचल—राहे, जिला—राँची, झारखण्ड, जाति—कुर्मी, पेशा—गृहिणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा—46(i)b के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगें।

भूमि का विवरण

.\			ग ।पपरण	
मौजा	थाना / थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट	रकवा
		REPRESENTED IN	सं०	
नवाडीह	सोनाहातु / 72	54	15	<u>वीहद्दीः</u> — उ०—उध्धप महतो। द०—घासीया महतो। पू०—मधुसूदन महतो। प०—सुखदेव महतो।

भूमि सुधार उप समाहर्ता। बुण्डू (राँची)

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता। बुण्डू (राँची)